



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2018/ 0095

भोपाल, दिनांक 16.01.2018

18/01/2018

संसोधित आदेश

विश्वविद्यालय के आदेश क्र अका/2018/0088 दिनांक 16.01.2018 में संसोधन करते हुए विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र जनवरी-जून 2018 के लिए निम्नानुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति छह माह की अवधि अथवा सेमेस्टर समाप्ति जो भी पहले हो, के लिए की जाती है।

स.क्र.	शिक्षक का नाम	विभाग का नाम	मानदेय प्रतिमाह	टीप
1	श्री विजयेन्दु झा	पत्रकारिता	Rs. 30,000/-	---
2	श्री विनोद कुमार	जनसंचार	Rs. 30,000/-	---
3	श्री केशव पटेल		Rs. 30,000/-	---
4	श्री चंदन सिंह	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	Rs. 30,000/-	---
5	श्री शिवेन्द्र मिश्रा		Rs. 30,000/-	---
6	श्री स्वतंत्र साहू	न्यू मीडिया प्रौद्योगिकी	Rs. 30,000/-	---
7	श्री संजय रावत		Rs. 30,000/-	---
8	श्री अभिषेक कौशल	विज्ञापन एवं जनसंपर्क	Rs. 30,000/-	---
9	सुश्री नाज़नीन सुल्ताना		Rs. 30,000/-	---
10	डॉ. नसरीन अंसारी		Rs. 30,000/-	---
11	डॉ. अंजली सावंत		Rs. 30,000/-	---
12	डॉ. शैली मिश्रा	संचार शोध	Rs. 30,000/-	---
13	श्री अमरेन्द्र आर्य	मीडिया प्रबंधन	Rs. 30,000/-	---
14	डॉ. विजय दीक्षित		Rs. 30,000/-	---
15	श्री रामशंकर पाल	नोएडा परिसर	Rs. 30,000/-	---
16	श्रीमती अंजना शर्मा		Rs. 30,000/-	---
17	श्री मधुकर सिंह		Rs. 30,000/-	---
18	सुश्री ऋचा चांदी		Rs. 20,000/-	---
19	श्री अरुण पाटिलकर	खण्डवा परिसर	Rs. 30,000/-	---
20	श्री मुकेश भांगरे	अमरकण्टक परिसर	Rs. 30,000/-	---
21	श्री प्रदीप शुक्ला	रीवा परिसर	Rs. 20,000/-	---
22	श्री रजत अभिनव	ग्वालियर परिसर	Rs. 30,000/-	---
23	सुश्री नीतू यादव		Rs. 30,000/-	---

नियुक्ति की शर्तें

- 1) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, इसके आधार पर विश्वविद्यालय में किसी भी नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

शेष पृष्ठ 2 पर...



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

-2-

- 2) यह नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी शर्तों एवं परिपत्रों की परिधि में रहेगी, कार्य संतोषजनक नहीं होने पर यह नियुक्ति कभी भी समाप्त की जा सकेगी।
- 3) संबंधित अतिथि शिक्षक नियुक्ति आदेश जारी होने के एक सप्ताह के अंदर निर्धारित विभाग/ परिसर में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 4) आवश्यकतानुसार निर्देश पर अतिथि शिक्षकों को अन्य विभागों में भी कक्षाएं लेनी होंगी, कक्षा के अतिरिक्त अन्य कार्य निष्पादन भी निर्देशानुसार करना होगा।

(प्रो. संजय द्विवेदी)
कुलसचिव

पृ.क्र./अका./2018/ 0096

भोपाल, दिनांक 16.01.2018
18.01.2018

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव कुलपति, निज सहायक कुलाधिसचिव/कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/परिसर प्रभारी/समन्वयक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
5. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. संजय द्विवेदी)
कुलसचिव